

भारत सरकार राजस्व एवं भू संपादन विभाग

# NON ENCUMBRANCE संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 234/2025

प्रमाण पत्र संख्या 22/2025

चूंकि श्री Seeman Meundi, son of Late Chandra ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित Other

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में 16/9/5 to 24/10/2025

से ता०..... तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करे :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर- 

पदनाम- *Clerk*

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर- 



पदनाम- *Clerk*

कार्यालय-

तारीख- 25/12/2025

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधक कार्यालय चहरी में पड्डेदार श्री अरुण कुमार का (नं. 12 (4) प्रम 23) एन 01/11/1995 से 24-01-2025 तक श्री लोमन नदी (Loman Nandi) का विवरण पड्डेदार द्वारा तलाशी करने के पत्र यथा कि सिटी ऑफ म्युनिसिपल वार्ड नं. 1 न्यू वार्ड नं. 3 of Chhatisgarh Municipality - Thema Kothan Thema no- 108 Halka no- 4 मयरा डिजा मंच कंटेनर नं. 51 Plot no. 703 (Portm) रकबा 0-11-125 एरर 5 म/15 26 हाथी लपके सिटी एन 96) 2023 Page No. 393 to 546 9/12/23 नं 794 अ 18-12-2023 में प्राप्त था। श्री अरुण कुमार ही तलाशी एन सिटी निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधिकारी के अन्वय में पुनरा पत्र निम्न किया जाता है जिला अवर निबंधक

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सागने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ ता हो।